

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266372
SG-DL-E-24092025-266372

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 247
No. 286]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947	[N. C. T. D. No. 247

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025-राज्य कर (दर)

फा. सं. 3(29)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/932.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा दिनांक 30-06-2017 की फा.सं. 3(15)/वित्त(राज.-I)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“स्थानीय डिलीवरी के माध्यम से सेवाएँ, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।”

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव

टीप: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 30-06-2017 की फा.सं. 3(15)/वित्त(राज.-I)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 30 जुलाई, 2025 की फा.सं. 3(16)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-VI/375 के द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025-राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2025

No. 17/2025-State Tax (Rate)

F. No. 3(29)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/932.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 17/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F. 3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30-06-2017, namely:-

1. In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-
“Services by way of local delivery where the person supplying such services through an electronic commerce operator is not liable for registration under sub section (1) of Section 22 of the Delhi Goods and Services Act, 2017.
2. This notification shall come into force with effect from 22nd September, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 17/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F. 3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30-06-2017 and was last amended by notification No. 08/2025-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F. 3 (16)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-11-720, dated 30th July, 2025.